



2026:AHC-LKO:19419

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 6060 वर्ष 2025

मंगल

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, होमगार्ड विभाग

सरकार, लखनऊ एवं 3 अन्य

.... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अजय माधवन

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय माधवन तथा विरोधी पक्षकारों के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना ।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. 29 नवंबर 2024 के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया ।

3. यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के पिता अर्थात् स्वर्गीय हर्ष का दिनांक 13 दिसम्बर 2015 को सेवा में रहते हुए निधन हो गया, जब वे होम गार्ड के रूप में कार्यरत थे, और अपने पश्चात् अपनी विधवा तथा याचिकाकर्ता सहित पाँच संतानों को छोड़ गए। यह प्रस्तुत किया गया कि मृत्यु के समय सभी पाँचों संतानें अवयस्क थीं तथा याचिकाकर्ता ने मार्च 2022 में वयस्कता प्राप्त की। यह प्रस्तुत किया गया कि वयस्कता प्राप्त करते ही याचिकाकर्ता ने दिनांक 27 सितम्बर 2012 के दिवंगत होम गार्डों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में शासनादेश के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उसे बुलाया गया तथा उसने दिनांक 30 अगस्त 2023 को आयोजित शारीरिक परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लिया, जिसके पश्चात् उसे प्रशिक्षण हेतु बुलाया गया, किन्तु उस समय उसे सूचित किया गया कि उसकी अभ्यर्थिता केवल राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरांत ही स्वीकार की जाएगी।

5. यह प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत आदेश के माध्यम से 93 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता एक ही आदेश द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गई कि अनुकम्पा नियुक्ति पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् माँगी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत आदेश वस्तुतः अकथनीय है, क्योंकि अस्वीकृति के लिए कोई कारण निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, विशेषकर तब जब राज्य सरकार पर यह दायित्व था कि वह दिनांक 27 सितम्बर 2012 के शासनादेश के प्रस्तर 5 के अनुसार कुछ कारण इंगित करती, जिसके द्वारा राज्य सरकार को पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने दिनांक 2 जनवरी 2026 के प्रति-शपथपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खण्डन करते हुए यह प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के दृष्टिगत कि दिनांक 27 सितम्बर 2012 के शासनादेश के प्रस्तर 5 में विनिर्दिष्ट पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् बड़ी संख्या में आवेदन प्रस्तुत किए गए थे, वह राज्य सरकार को प्रस्तुत/प्रेषित किए गए, जिस पर प्रश्नगत आदेश के माध्यम से उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने पर, यह स्वीकृत है कि दिवंगत होम गार्डों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान दिनांक 27 सितम्बर 2012 के शासनादेश द्वारा किया गया है। उसका प्रस्तर 5 ऐसे मामलों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है, जहाँ ऐसा आवेदन कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया हो।

8. अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश के माध्यम से दिवंगत कर्मचारियों के 93 ऐसे आश्रितों के संबंध में एक समेकित आदेश पारित किया गया है, जिसके द्वारा उनके आवेदनों को केवल इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है कि वे पाँच वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए थे।

9. प्रश्नगत आदेश का साधारण अवलोकन ही यह स्पष्ट कर देगा कि विलम्ब को क्षमा करने के अपने अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने से इंकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृति हेतु कोई भी कारण बिल्कुल भी निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

10. यहाँ तक कि प्रति-शपथपत्र भी इस संबंध में पूर्णतः मौन है कि राज्य सरकार उस पर निहित ऐसे अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने में क्यों विफल रही है।

11. प्रथमदृष्टया प्रश्नगत आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2024 अपने स्वभाव में अकथनीय होने के कारण, जहाँ तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है, उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करते हुए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निरस्त किया जाता है। एक अन्य रिट, परमादेश की प्रकृति में, प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् प्रमुख सचिव, होमगार्ड विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय, लखनऊ को यह आदेश देते हुए जारी की जाती है कि वे दिनांक 27 सितम्बर 2012 के शासनादेश के नियम 5 के अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता के संबंध में पुनः कारणयुक्त एवं कथनीय आदेश पारित करें। उपयुक्त आदेश इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रतापूर्वक पारित किए जाएंगे।

12. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

17 मार्च, 2026

प्रभात

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।